न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद संख्या–03/2009

U/S 16, Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act, 1973

राजेन्द्र प्रसाद सिंह, पिता–स्व0 महंथ लाल सिंह, साकिन–ओरलाहा, थाना–रधुवंशनगर, जिला–पूर्णियाँ.....

आवेदक

बनाम्

1. राज्य
2. रामदेव सिंह, पिता–स्व0 भरोसी सिंह, साकिन–ओरलाहा, थाना–रधुवंशनगर, जिला–पूर्णियाँ.....

विपक्षी

आ दे श

आवेदक भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धमदाहा द्वारा नामान्तरण अपील वाद संख्या–35/2007–08 78/2008–09 में दिनांक 08.11.2008 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक का कथन है कि मौजा–ओरलाहा, थाना नं0–166, खाता संख्या–555, खेसरा संख्या–568, रकवा–73 डिसमिल दक्षिण से, खाता संख्या–556, खेसरा संख्या–747, रकवा–04 डिसमिल, खेसरा संख्या–447/3196, रकवा–02 डिसमिल एवं खेसरा संख्या–1244, रकवा–3½ डिसमिल जमीन आवेदक एवं विपक्षी का संयुक्त जमीन था। सुविधा के दृष्टिकोण से समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समक्ष दोनों पक्षों ने आपसी बंटवारा किया। दिनांक 07.09.2005 को हुए आपसी बंटवारा में मौजा–हनुमाननगर, थाना नं0–317 की जमीन आवेदक को हिस्से में मिला। इस पंचनामा के आधार पर आवेदक ने नामान्तरण हेतु आवेदन दिया और नामान्तरण वाद संख्या–23/2007–08 के द्वारा आवेदक को हिस्से में प्राप्त जमीन का जमाबन्दी दर्ज हुआ। पुनः विपक्षी आवेदक को परेशान करने की नीयत से भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धमदाहा के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद संख्या–35/2007–08 78/2008–09 प्रारम्भ किया। निम्न न्यायालय द्वारा नामान्तरण वाद संख्या–23/ 2007–08 में पारित आदेश को रद्द किया गया, जो नियम के अनुकूल नहीं है। पंचनामा के आधार पर हुए नामान्तरण को रद्द करने का कोई वैधानिक आधार नहीं था। अतः आवेदक इस न्यायालय से निवेदन करता है कि निम्न न्यायालय से अभिलेख मंगवाकर वाद की सुनवाई करते हुए न्याय करने की कृपा की जाय।

विपक्षी का कथन है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किया गया यह वाद किसी भी दृष्टिकोण से निर्वहन योग्य नहीं है। सर्वप्रथम आवेदक द्वारा समय सीमा के बाद यह वाद दायर किया गया है। आवेदक एवं विपक्षी के पूर्वज स्व0 भरोसी सिंह के नाम सारी सम्पत्ति का मौखिक बंटवारा वर्ष 1960 ई0 में ही हुआ था और इस मौखिक बंटवारा के अनुसार आवेदक एवं विपक्षी अपने–अपने हिस्से की जमीन का जोत–आबाद कर रहे थे। विपक्षी कुछ जमीन बाद में भी खरीदा है। वर्ष 2005 ई0 में आवेदक असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर जबरदस्ती बलपूर्वक विपक्षी से सादा स्आम्प पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिया। इस संबंध में विपक्षी ने अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा के न्यायालय में दिनांक 15.09.2005 को विविध आवेदन पत्र संख्या–527P/2005 दिया। आवेदक सादा स्टाम्प पेपर पर पंचनामा बंटवारा कर अंचलाधिकारी के कैम्प कोर्ठ में प्रश्नगत जमीन जो विपक्षी के हिस्से की थी का

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

नामान्तरण अपने नाम करवा लिया। फलस्वरूप विपक्षी ने भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धमदाहा के न्यायालय में नामान्तरण अपील दायर किया। निम्न न्यायालय द्वारा नियनिवेदना करता है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किये गये इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 01.04.2011 को सुनवाई की गयी। आवेदक अनुपस्थित थे। उनके द्वारा हाजरी भी नहीं दिया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि आवेदक द्वारा जान–बुझकर लगातार अनुपस्थित रहा जा रहा है, इसलिये इस वाद को खारिज करने की मांग की गयी।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि दिनांक 09.07.2010 को आवेदक द्वारा दिये गये समय आवेदन पर भी विपक्षी द्वारा आपत्ति जताया गया। दिनांक 27.12.2010 को भी अनुपस्थित रहने के कारण आवेदक को अंतिम मौका देते हुए सुनवाई हेतु उपस्थित रहने का आदेश दिया गया। इसके बाबजूद भी सुनवाई के दिन अनुपस्थित रहना स्पष्ट करता है कि आवेदक के द्वारा इस वाद के निष्पादन में कोई रूचि नहीं है एवं जान–बुझकर निष्पादन में विलम्ब करने का प्रयास किया जा रहा है।

पुन: दिनांक 25.05.2012 को अभिलेख सुनवाई हेतु रखा गया।

उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्ष द्वारा समर्पित कागजातों के अवलोकन एवं सुनवाई के बाद स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। इस आदेश में किसी तरह की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस निर्णय के साथ आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुए इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

30/5/12

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

30/5/12

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ